रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042021-226692
CG-DL-E-19042021-226692

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 19, 2021/चैत्र 29, 1943
No. 131]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 19, 2021/CHAITRA 29, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2021

मामला सं. : एडी (एसएसआर)–7/2021

विषय: चीन जन. गण. से "ट्रेलरों के लिए एक्सल" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 7/7/2021-डीजीटीआर.—1. मै. योर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ट्रेलरों के लिए एक्सल" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" या "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने और पाटन और क्षति की संभावना का आरोप लगाया है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।

क. पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना सं. 14/17/2015-डीजीएडी के माध्यम से मूल पाटनरोधी जांच शुरू की गई थी । चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30 सितंबर, 2016 की अधिसूचना सं. 14/17/2015-डीजीएडी के माध्यम से की गई सिफारिश के आधार पर दिनांक 29 नवंबर, 2016 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 54/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाना अधिसूचित किया गया था। चीन जन. गण. से पी यू सी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क 28 नवंबर, 2021 तक लागू है ।

4. उपर्युक्त के होते हुए भी प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 4/11/2020-डीजीटीआर द्वारा दिनांक 15.09.2020 को स्वत: आधार पर एक प्रवंचनारोधी जांच शुरू की है, जो इस समय चल रही है । उक्त जांच की शुरूआत सीमाशुल्क आयुक्त (आयात), नहावासेवा से प्राप्त इस सूचना के आधार पर की गई थी कि पूर्वोक्त पाटनरोधी शुल्क की परिवंचना हो रही है क्योंकि पीयूसी को "ट्रेलर एक्सल के कलपुर्जे" के रूप में घोषित करके और तत्पश्चात पीयूसी के रूप में असेंबल करके सीकेडी (कंप्लीट नॉकडाउन)/एसकेडी (सेमी नॉक डाउन) स्थिति☐ (विचाराधीन उत्पाद) में आयातित किया जा रहा है ।

ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "ट्रेलरों के लिए एक्सल" है । विचाराधीन उत्पाद दिनांक 30.09.2016 की अंतिम जांच परिणाम सं. 14/17/2015-डीजीएडी द्वारा मूल पाटनरोधी जांच में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ट्रेलरों के लिए एक्सल" है । प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु को विभिन्न किस्मों में विनिर्मित किया और बेचा जाता है । तथापि, इन सभी किस्मों की मूल उत्पाद विशेषताएं और अंतिम प्रयोग समान रहता है और ये सभी प्रकार के ट्रेलर एक्सल पीयूसी के दायरे में शामिल हैं । यह देखा गया है कि ये सभी किस्में एक समान विचाराधीन उत्पाद बनाती हैं जिनमें तुलनीय मूल विशेषताएं और समान कार्य/प्रयोग होते हैं ।

13. प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद एक वाहन कलपुर्जा और अनुषंगी सामान है जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 87 के अधीन आता है और यह आगे सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 87169010 के अधीन वर्गीकृत है । तथापि, चूंकि यह उपशीर्ष के समर्पित वर्गीकरण नहीं है, इसलिए सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच हेतु निर्धारित उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

6. यह दलील दी गई है कि शुल्क की संभावित परिवंचना के दावों, जिनकी जांच प्राधिकारी कर रहे हैं, के अलावा, संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री के तरीके में इस अवधि के दौरान कोई खास बदलाव नहीं हुए हैं । चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद संबद्ध वसतु से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच में यथापरिभाषित के समान है ।

ग. समान वस्तु

7. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । दोनों उत्पाद तकनीकी विशेषताओं, समान अंतिम प्रयोग, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है । प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांच में यह माना था कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु है । वर्तमान आवेदन मूल शुल्क का समय बढाने की समीक्षा हेतु है और चूंकि वर्तमान और मूल जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद समान है, इसलिए यह प्रथमदृष्टया माना गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु "समान वस्तु" हैं ।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

8. यह आवेदन मै. योर्क ट्रांसपोर्ट एक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है । आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने संपूर्ण क्षति अवधि में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का न तो आयात किया है और न ही वे

संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक या आयातक से संबंधित हैं । रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक का उत्पादन समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है

9. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है ।

ड. पाटन की संभावना

10. आवेदक ने चीन जन गण से संबंधित उत्पादकों के सामान्य मूल्य के संबंध में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है । आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं । आवेदक द्वारा यह बताया गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागतें और कीमत सूचना बाजार चालित हैं तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए ।

11. यह नोट किया जाता है कि नियमावली के अनुबंध-1 में अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य मूल्य का बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत या जहां ऐसा संभव न हो, वहां भारत में वस्तुत: प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर निर्धारण किया जाना विहित है । चूंकि आवेदक द्वारा न तो उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का सुझाव दिया गया है और न ही बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य संबंधी कोई सूचना तत्काल उपलब्ध है । इसलिए, जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य को भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन लागत और बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ जोड़कर परिकलित किया गया है ।

12. निर्यात कीमत का परिकलित वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है । समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय मालभाड़ा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, ऋण लागत और वैट वापसी हेतु कीमत समायोजन किए गए हैं । आवेदक द्वारा दावा की गई निवल निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं ।

13. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निर्यात कीमत से अधिक है जिससे प्रथमदृष्टया पता चलता है कि भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है । पाटन मार्जिन न केवल निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक है ।

च. क्षति की संभावना

14. आवेदक ने शुल्क की मौजूदगी के बावजूद संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा जारी रहने, सकारात्मक कीमत कटौती और कीमत ह्रास तथा कम कीमत पर बिक्री प्रभावा के आधार पर क्षति के जारी रहने की संभावना का दावा किया है । विभिन्न मात्रा और कीमत मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट आई है । यद्यपि, मांग में गिरावट भी देखी जा सकती है, जिसके केवल एक अस्थायी गिरावट होने का आवेदक ने दावा किया है । आवेदक ने यह भी दावा किया है कि मांग में गिरावट को क्षति का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता है क्योंकि शुल्क के बाद भी चीन जन.गण. से पाटित स्तरों पर आयात जारी है और ऐसे आयातों का हिस्सा घटती मांग के परिदृश्य में भी बढ़ा है और ऐसे आयातों का कीमत प्रभाव काफी प्रतिकूल रहा है । वर्तमान शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में ऐसे आयात और उनके प्रभाव और गंभीर हो सकते हैं । कीमत प्रभाव आवेदक के दावे के अनुसार मौजूदा शुल्क के कारण सीमित थे । लागू पाटनरोधी शुल्क के सकारात्मक प्रभाव के पीयूसी पर शुल्क की परिवंचना, जिसकी प्राधिकारी जांच कर रहे हैं, के कारण कम होने का दावा किया गया है ।

छ. निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

15. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी

रहने की संभावना को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

ज. संबद्ध देश

16. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

झ. जांच की अवधि (पीओआई)

17. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (जिसे यहां आगे "पीओआई" भी कहा गया है) 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 (12 महीने) तक की है। घरेलू उद्योग के लिए क्षति का आकलन करने हेतु प्राधिकारी 2017–2018, 2018–2019, 2019-20 और पी ओ आई की अवधि को शामिल करेंगे।

ञ. प्रक्रिया

18. इस समीक्षा जांच में दिनांक 30 सितंबर, 2016 की अधिसूचना सं. 14/17/2015-डीजीएडी के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम जिनमें चीन जन. गण. से "ट्रेलर्स के लिए एक्सल" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, के सभी पहलू शामिल होंगे। प्राधिकारी पाटन और क्षति की संभावना का यथाअपेक्षित विश्लेषण भी करेंगे।

19. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

20. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg11-dgtr@gov.in, dd11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

21. ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर उपर्युक्त पैराग्राफ 20 में यथाउल्लिखित ई-मेल पतों पर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डी जी टी आर की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात https://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें।

ठ. समय-सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg11-dgtr@gov.in, dd11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

ड गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है । इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है ।

28. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

29. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

30. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

31. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

32. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

33. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

34. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

35. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वैबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी ।

ण. असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2021

Case No. AD (SSR) -7/2021

Subject : Initiation of Sunset Review investigation concerning imports of "Axle for Trailers" from China PR.

F. No. 7/7/2021-DGTR.—1. M/s York Transport Equipment (India) Pvt. Ltd. (hereinafter also referred to as the "Applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the "Rules") for initiation of sunset review investigation concerning imports of "Axle for Trailers" (hereinafter referred to as 'product under consideration' or 'PUC' or the 'subject goods') originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as 'subject country').

2. The Applicant has alleged continued dumping & injury and likelihood of dumping and injury in case of expiry of existing anti-dumping duties and have requested for initiation of sunset review and continuation of the anti-dumping duty (ADD) imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

A. <u>Background</u>

3. The original anti-dumping investigation was initiated by the Authority vide Notification No. 14/17/20l5-DGAD dated 28th December, 2015. On the basis of recommendation made by the Authority, vide Notification No. 14/17/20l5-DGAD, dated 30th September, 2016 for definitive antidumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from China PR, the imposition of antidumping duty was notified vide Custom Notification No. 54/2016-Customs (ADD), dated 29th November, 2016. The anti-dumping duty on imports of PUC from China PR is in force till 28th November, 2021.

4. Notwithstanding the above, the Authority has initiated an anti-circumvention investigation on *suo motu* basis on 15.09.2020 vide Notification No. 4/11/2020-DGTR which is currently in progress. The initiation of the said investigation was based on the information received from Commissioner of Customs (Imports), Nhava Sheva that the aforesaid anti-dumping duty is being circumvented as the PUC is being imported in CKD (complete knock down)/SKD (semi knock down) condition (Product under investigation) by declaring it as 'parts of trailer axles' and thereafter being assembled as PUC.

B. <u>Product under Consideration (PUC)</u>

5. The product under consideration in the present investigation is "Axle for Trailers". The product under consideration defined in the original anti- dumping investigation vide Final Findings No. 14/17/20l5-DGAD dated 30.09.2016 was as follows:

12. The Authority notes that the product under consideration in the present investigation is 'Axle for Trailers' originating in or exported from China PR. The Authority also noted that the subject goods are manufactured and sold in different variants. However, the basic product characteristics and end use of all these variants remains the same and all such types of Trailer Axles are covered in the scope of the PUC. It has been observed that all such variants essentially constitute a homogenous product under consideration with comparable basic characteristics and similar functions/uses.

13. The Authority also notes that the product under consideration is a vehicle part and accessory, falling under Chapter 87 of the Customs Tariff Act, 1975 and further classified under custom sub-heading no. 87169010. However, since the subheading is not a dedicated classification, the customs classification is indicative only and not binding on the product scope determined for this investigation.

6. It has been contended that no significant developments have taken place over the period in the way in which the subject goods are produced and sold except the claims of possible circumvention of duties which is being investigated by the Authority. The present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the original anti-dumping investigation concerning the subject goods.

C. Like Article

7. The Applicant has submitted that there is no known difference in the subject goods produced by the applicant domestic producers and those exported from the subject country. Both products are comparable in terms of technical characteristics, their similar end uses, their technical and commercial substitutability and tariff classification. The Authority in the previous investigation held that the products being manufactured by the domestic industry is like article to the product being imported into India from the subject country. The present application is for review of the extension of original duty and since the product under consideration for the present and original investigation are same, it is prima facie considered that the subject goods produced by the Domestic Industry and the subject goods imported from the subject country are "like article".

D. Domestic Industry and Standing

8. The application has been filed by M/s York Transport Equipment (India) Pvt. Ltd. The Applicant has certified that they have not imported the subject goods from the subject country in the entire injury period nor are they related to any producer or importer of the subject goods. As per evidence available on record, the production of the applicant accounts for a major proportion in the domestic production of the like article.

9. In view of the above, the Authority notes that the Applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3), of the Rules supra.

E. Likelihood of dumping

10. The Applicant has cited and relied upon Article l5(a)(i) of China's Accession Protocol with regard to normal value concerning producers from China PR. The Applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the production and sale of the product under consideration. It has been stated by the Applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure-I of the Anti-dumping Rules.

11. It is noted that the Annexure-I to the Rules prescribes for determination of the normal value, inter alia, on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India. Since neither appropriate market economy third country has been suggested by the applicant nor any information concerning the price or constructed value in any market economy third country is readily available, the normal value for the purpose of initiation has been constructed on the basis of cost of production of the subject goods in India and selling, general & administration expenses along with reasonable addition for profit.

12. The export price has been computed based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made for Ocean Freight, Insurance, Inland Freight, Port Expenses, Bank Charges, Credit Cost and VAT Refund. There is sufficient prima facie evidence with regard to the net export price claimed by the Applicant.

13. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market. The dumping margin is not only above *de minimis* but also substantial.

F. Likelihood of Injury

14. Applicant has claimed likelihood of continuation of injury on the grounds of continued imports volume of subject goods despite existence of duties, positive price undercutting and suppression and underselling effects. The performance of the domestic industry has deteriorated on various volume and price parameters though a fall in demand is also visible which the applicant has claimed as only a temporary fall. The applicant has also claimed that fall in demand cannot be considered as the sole cause of injury as the imports from China PR continued at dumped levels even after duties and the share of such dumped imports increased even in a falling demand scenario and the price effects from such imports also have been significantly adverse. Such imports and its effect can aggravate in the event of expiry of present duties. The price effects were limited on account of existing duties as claimed by the applicant. The positive effects of anti- dumping duties in force are also claimed to be vitiated due to the circumvention of duties on PUC which is being probed by the Authority.

G. Initiation of Sunset Review Investigation

15. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied, on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicant substantiating likelihood of continuation of dumping and injury to the domestic industry, in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority hereby initiates sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the Domestic Industry.

H. Subject Country

16. The subject country for the present investigation is China PR.

I. Period of Investigation (POI)

17. The period of investigation (hereinafter also referred to as "POI") for the present investigation is 1st January 2020 to 31st December 2020 (12 Months). For assessment of injury to the Domestic Industry the Authority shall cover the period 2017-18, 2018-19, 2019-20 and the POI.

J. Procedure

18. The review investigation will cover all aspects of the Final Findings published vide Notification No. 14/17/2015-DGAD, dated 30th September, 2016 recommending imposition of Anti-Dumping Duty on imports of 'Axle for Trailers' from China PR. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury as required.

19. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

K. **Submission of Information**

20. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg11-dgtr@gov.in, dd11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in . It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

21. The known exporters, Government through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below

22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned in Para 20 above.

23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

24. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority https://www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation.

L. **Time Limit**

25. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the email address adg11-dgtr@gov.in, dd11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules

26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

M. Submission of Information on Confidential Basis

27. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

28. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

29. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

34. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

35. A list of interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to share the non-confidential versions of their submissions with all interested parties via e-mail since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

O. Non-Cooperation

36. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.04.19 22:24:24 +05'30'